DEPARTMENT OF IRRIGATION AND WATER RESOURCES,
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Date-:02.12.2021

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Subject- ACTION TAKEN REPORT in COMPLIANCE of ORDER DATED 07.09.2021 in matter of M.A. No. 02/21 in OA 116/2014 MEERA SHUKLA Vs MUNICIPAL CORPORATION, GORKHPUR AND ORS.

Hon'ble National Green Tribunal in above have ordered and instructed in page no-39 of order dated 07.09.2021

"……. on the issue of prayer in M.A. No. 02/2021 for removing of obstruction from Tihura drain, the Irrigation Department, UP may take remedial action, after verifying the facts, following due process of law and include the action taken in its compliance report to be filed before the next date."

In relation to the above order of Hon'ble National Green Tribunal it is to submit that the Chief Engineer (Sharda Sahayak), Irrigation & Water Resources Dept., Lucknow vide his letter number 10098/NGT dated 27.11.2021 has informed that Tihura Drain which crosses the regulator built at Km 12.110 of Ayodhya-Bilvahari ghat Embankment

constructed under the jurisdiction of Flood Works Division- Ayodhya, falls in River Saryu. This drain mainly contains effluent discharge from Yash Paper Mill and water from the adjoining catchment areas. In the financial year 2020-21, the work of cleaning of drain between the afore mentioned embankment and up to River Saryu was done and all blockages were removed.

Further it to submit that at present, the drain is discharging water uninterruptedly in to the river, which has been verified. A copy of ATR with photographs during cleaning of drain and present position of drain discharging in River Saryu is being annexed herewith for your kind perusal **(Annexure-1)**.

In view of the current progress and above action taken by the department, it is respectfully submitted that the directions given in the said M.A. 02/2021 are being compiled with by the department in letter and spirit.

(T. Venkatesh)
Additional Chief Secretary
Irrigation & Water Resources Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

अनु सचिव,
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांकः-318मु0अ0(ज0सं0)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनाँक-29 नवम्बर,2021

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0संख्या-116/2014, (एम0ए0संख्या-02/2021) मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपिल कॉर्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में दिनांक-07.09.2021में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः-1-अनु सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ का पत्र संख्या-2448(1)/21-27-सिं-4-02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक-26.11.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपिल कॉर्पोरेशन गोरखपुर व अन्य में दिनांक- 07.09.2021को पारित आदेश में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अंश के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, द्वारा अवगत कराया गया है कि तिहुरा ड्रेन बाढ़ कार्य खण्ड, अयोध्या के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित अयोध्या-विल्वहरिघाट तटबन्ध के कि0मी012.110पर निर्मित रेगुलेटर को क्रास कर सरयू(घाघरा) नदी में मिलती है। तिहुरा ड्रेन से आस-पास के कैचमेंट का पानी एवं मुख्य रूप से यश पेपर मिल के पानी की निकासी होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21में तटबन्ध से नदी तक ड्रेन की सफाई का कार्य कराया गया था, जिसके अन्तर्गत ड्रेन के समस्त अवरोध हटा दिये गये हैं। वर्तमान में उक्त ड्रेन के पानी की निकासी निर्बाध रूप से नदी में हो रही है, जिसका सत्यापन मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक) द्वारा करा लिया गया है। ड्रेन में कराये गये सफाई के कार्य से सम्बन्धित फोटोगाफ्स संलग्न है।

उक्त आख्या प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता
(जल संसाधन)

पत्रांकः- /मु0अ0(ज0सं0)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनाँक- नवम्बर,2021

प्रतिलिपि-

मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्रांक-10098/मु0अ0(शा0सहा0)/एन0जी0टी0,दि0-27.11.2021के द्वारा प्रेषित आख्या के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

मुख्य अभियन्ता
(जल संसाधन)

<u>मा0एन0जी0टी0/सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांकः-10098 / मु0अ0(शा0सहा0)/एन0जी0टी0/ दिनांक : नवम्बरः 27, 2021

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-116/2014 (एम0ए0संख्या-02/2021) में दिनांक-07.09.2021 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

<u>मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ</u>

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 316/मु0अ0 (ज0सं0) अनिमं0-1/ अनिख0-3, दिनांक-25.11.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ओ0ए0 संख्या- 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के पृष्ठ संख्या-39 में उल्लिखित निर्देश के क्रम में एम0ए0 संख्या 02/2021 में तिहुरा ड्रेन से अवरोध हटाने से सम्बन्धित याचना में सिंचाई विभाग से तथ्य का सत्यापन कर उपचारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में इस संगठन के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, एकादशम मण्डल सिंचाई कार्य, अयोध्या ने अपने पत्रांक 6462/एकादशम/एन0जी0टी0, दिनांक 26.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि तिहुरा ड्रेन बाढ़ कार्य खण्ड, अयोध्या के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित अयोध्या-विल्वहरिघाट तटबन्ध के किमी0 12.110 पर निर्मित रेगुलेटर को क्रास कर सरयू (घाघरा) नदी में मिलती है। तिहुरा ड्रेन से आस-पास के कैचमेंट का पानी एवं मुख्य रूप से यश पेपर मिल के पानी की निकासी होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में तटबन्ध से नदी तक ड्रेन की सफाई का कार्य कराया गया था, जिसके अन्तर्गत ड्रेन के समस्त अवरोध हटा दिये गये हैं **(संलग्न फोटोग्राफ संख्या-1)**। वर्तमान में उक्त ड्रेन के पानी की निकासी निर्वाध रूप से नदी में हो रही है जिसका सत्यापन करा लिया गया है। **(संलग्न फोटोग्राफ संख्या-2, दिनांक 25.11.2021)**। आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्नक- उपरोक्तानुसार।

27/11/21
(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक)
27/11/21

<u>पत्रांक- 10098/मु0अ0(शा0सहा0)/एन0जी0टी0/तदिनांक-</u>

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, एकादशम मण्डल सिंचाई कार्य, अयोध्या को उनके पत्रांक 6462/एकादशम/एन0जी0टी0, दिनांक 26.11.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक)
27/11/21

lyXud&1

fdeh0 12-110 ij fufer jxyVj ij fnukd 13-06-2020 dk Mu e lQkb dk dk; ,o vojk/k gVk; tku d le; d QkVkxk¶l

lyXud&2

fdeh0 12-110 ij fufer jxyVj ij fnukd 25-11-2021 dk Mu l fudy dj lj; unh e tk jg ikuh dh v|ru QkVkxkQ